DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

NAME OF NEWSPAPERS- न टाइम्स । नई दिल्ली । बुधवार, 28 सितंबर 2022 D----------

हरि नगर की पहचान यह पार्क बन गया नशेड़ियों का अड्डा

कभी होती थी बोटिंग, अब पूरी तरह से बदहाल हुआ 'झील वाला पार्क'

■ अश्वनी शर्मा, हरि नगर

वेस्ट दिल्ली के हरि नगर इलाके की कभी पहचान बताने वाला 'झील वाला पार्क' आज गंदगी के ढेर में तब्दील होकर लुप्त हो चुका है। इस पार्क में कभी पर्यटक और स्थानीय लोग परिवार के साथ बोटिंग करने के लिए आते थे। लेकिन अब इस पार्क में नशेड़ियों का कब्जा हो गया है। झील पूरी तरह से सूख चुकी है। पार्क के अंदर नशेड़ी स्मैक, शराब आदि का नशा करते हैं। स्थानीय लोगों के अनुसार यहां आए दिन छीना-झपटी की वारदात होती है। जिस कारण शाम के समय यहां लोग आने से डरते हैं।

डीडीए के इस पार्क की दीवारें टूट चुकी हैं और हर तरफ गंदगी फैली रहती है

पार्क में कोई गार्ड तैनात नहीं है, जिसके कारण यहां अवारा पशु गंदगी फैलाते हैं

स्थानीय निवासी अनूप चावला ने बताया कि डीडीए का यह पार्क करीब 50 एकड़ में फैला हुआ है। 32 एकड़ में पार्क बना हुआ है, जबकि 6 एकड़ में कभी यहां झील हुआ करती थी। जो अब सूख चुकी है। इसके अलावा 8 एकड़ में पेड़-पौधे लगे हुए थे। अब यह पार्क बदहाली की मार झेल रहा है। अब यहां जगह-जगह गंदगी के ढेर लगे हैं और आवारा पशु मंडराते रहते हैं। अब यहां कोई आना पसंद नहीं करता।

बुरी हालत

- 6 एकड़ में फैली झील पूरी तरह से सूख चुकी है, हर तरफ गंदगी पड़ी है
- डीडीए का यह पार्क करीब 50 एकड़ में फैला हुआ है, 8 एकड़ में हरियाली थी

मनोज बताते हैं झील को पुनर्जीवित करने के लिए उन्होंने कई प्रयास कर दिल्ली विकास प्राधिकरण के अधिकारियों और जन प्रतिनिधियों तक बात पहुंचाने का भरपूर प्रयास किया, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। आज भी अगर इस पार्क पर ध्यान दिया जाए, तो इसकी तस्वीर फिर से बदल सकती है।

आरडब्ल्यूए के सलाहकार मनोज कुमार ने बताया कि यह 'झील वाला पार्क' अब सिर्फ नाम का पार्क रह गया है। 1996 में इस पार्क का निर्माण हुआ था। यहां लोग 50 रुपये में परिवार के साथ बोटिंग करते थे। इसकी दीवारें टूट रही हैं। पार्क के चारों तरफ गंदगी के ढेर लगे हैं। पार्क के निर्माण के कुछ वर्ष बाद यहां कुछ लोगों ने झील में आत्महत्या कर ली थी। जिसके बाद पार्क में बोटिंग बंद हो गई। उसके कुछ समय बाद यहां आत्महत्या के कई मामले सामने आए। दो साल पहले कुछ लोगों ने पार्क में पेड़ से लटककर खुदकुशी कर ली थी।

मनोज ने प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा कि पार्क के निर्माण के बाद प्रशासन ने इसकी देखरेख सही तरीके से नहीं की। जिस कारण पार्क खराब होता चला गया। पार्क में कोई गार्ड तैनात नहीं किया गया है। जिसके कारण यहां अवारा पशु आकर गंदगी फैलाते हैं। वहीं, शाम होते ही यहां नशेड़ियों की महफिल बैठ जाती है।

छतरपुर से मैदानगढ़ी तक चौड़ी होगी सड़क

सात मीटर चौड़ी एप्रोच रोड को 30 मीटर किया जाएगा

■ विशेष संवाददाता, नई दिल्ली

छतरपुर से इंस्टीट्यूशनल एरिया तक जाने वाली एप्रोच रोड को 30 मीटर चौड़ा किया जाएगा। एलजी वी. के. सक्सेना ने यूटीपैक (यूनिफाइड ट्रैफिक एंड ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग एंड इंजीनियरिंग सेंटर) की मीटिंग में डीडीए को इस सड़क के लिए रिडिवेलपमेंट की तैयारी के निर्देश दिए हैं।

मिली जानकारी के अनुसार छतरपुर से मैदानगढ़ी, सरयुपुर और सतबरी इंस्टीट्यूशनल एरिया में जाने वाली एप्रोच रोड अभी सात मीटर की है। यहां पर सार्क यूनिवर्सिटी, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट साइंस एंड बिल्डिंग, एनआईसी आदि आने हैं। ऐसे में इस सड़क की चौड़ाई को बढ़ाकर 30 मीटर किया जाना है। इसके लिए प्राइवेट जमीन को अधिग्रहित करने की जरूरत है। यह एरिया मार्फोलॉजिकल रिज में आता है इसलिए इसके लिए वन विभाग की मंजूरी की भी जरूरत है।

तैयारी के निर्देश

- एलजी ने डीडीए को इस सड़क के लिए रिडिवेलपमेंट की तैयारी के निर्देश दिए
- एम्स के रिडिवेलपमेंट के दौरान ट्रैफिक पर प्रभाव की रिपोर्ट को भी मंजूरी दी

एलजी ने डीडीए को निर्देश दिए कि वह इस सड़क के लिए ग्राम सभा और वन विभाग से बात करें और सभी संभावनाओं को तलाशें। साथ ही इस प्रोजेक्ट के लिए उन्होंने एक नया डिजाइन बनाने के निर्देश दिए जिसमें प्राइवेट लैंड भी शामिल हो। उन्होंने डीडीए को जल्द से जल्द यह प्रपोजल यूपीटैक में अप्रूवल के लिए रखने का निर्देश दिया है। एम्स के रिडिवेलपमेंट के दौरान ट्रैफिक पर प्रभाव की रिपोर्ट को भी इस मीटिंग में मंजूरी दी गई।

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

NAME OF NEWSPAPERS- नवभारत टाइम्स । नई दिल्ली । बुधवार, 28 सितंबर 2022 D

'श्याम विहार में स्नैचिंग घटे, CCTV निगरानी बढ़ाई जाए'

छावला: एनबीटी सुरक्षा ऑडिट के दौरान लोगों ने रखी अपनी बात

Photos : Sunil Kataria

ऑडिट के दौरान छावला थाने के एसएचओ पंकज कुमार और उनकी टीम मौजूद रही

■ विशेष संवाददाता, नई दिल्ली

सुरक्षा कवच 3.0 के तहत इन दिनों छावला क्षेत्र की समस्याओं को जानने के लिए एनबीटी टीम वहां काम कर रही है। अभियान के दूसरे दिन एनबीटी टीम ने पुलिस अधिकारियों के साथ मिलकर यहां श्याम विहार, फेज-1 के सी-ब्लॉक में सुरक्षा ऑडिट किया।

सुरक्षा ऑडिट के दौरान छावला थाने के एसएचओ पंकज कुमार व उनकी टीम एनबीटी के साथ रही। श्याम विहार में लोगों से बात करते हुए हमें पता चला कि यहां पर पिछले कुछ महीनों से मुख्य सड़क दिनपुर-गोयला डेयरी रोड काफी खराब है। इसकी वजह से लोगों को दिक्कतें आती हैं। बारिश में तो यहां लोग गिरने लगते हैं। इसके अलावा इसी सड़क पर कुछ रेहड़ी-पटरी और ई-रिक्शा वालों का अतिक्रमण रहता है। इसकी वजह से जाम की समस्या आती है। एरिया में सीसीटीवी भी कम लगे हैं। लोगों ने निजी तौर पर अपने घरों में सीसीटीवी नहीं लगवाए हैं। एकध दुकानों पर जरूर सीसीटीवी लगे हुए हैं। सीसीटीवी की निगरानी ना होने की वजह से भी अपराधियों को बल मिलता है। पुलिस की तरफ से यहां पांच सीसीटीवी लगवाए जा रहे हैं।

स्नैचिंग की वारदातें पुलिस की मौजूदगी की वजह से पहले से 40 प्रतिशत तक कम हो गई है। कुछ गलियों व जोहड़ों के किनारे लोग शराब पीकर माहौल खराब करते हैं। इसके अलावा एरिया में डीडीए का एक बारातघर भी है। इसमें बुकिंग तो हो जाती है, लेकिन यहां न पानी है, न बिजली। न ही यहां साफ-सफाई की व्यवस्था है। इसकी वजह से आयोजक यहां डीजी सेट का इस्तेमाल करते हैं। पानी के लिए प्राइवेट टैंकर लगाने पड़ते हैं। यह काफी शोर करता है और लोगों के लिए समस्या भी है।

एरिया के हर पोल पर बिजली के तार लटक रहे हैं। यह आम लोगों के लिए कभी भी खतरा बन सकते हैं। स्थानीय निवासियों को दिल्ली जल बोर्ड से भी शिकायत है। अप्लाई करने के बावजूद यहां लोगों को कनेक्शन नहीं मिल रहे। जिन घरों में पानी के कनेक्शन हैं वहां या तो गंदा पानी आता है या पानी आता ही नहीं है।

NBT सुरक्षा कवच
मिलकर बनाएं दिल्ली को ज्यादा सेफ

छावला में सीसीटीवी कैमरे भी कम लगे हैं। लोगों ने अपने घरों में भी कैमरे नहीं लगवाए हैं। अब पुलिस की ओर से यहां 5 सीसीटीवी लगवाए जा रहे हैं

"बिजली व केबल के लटकते तार कभी भी हादसे का सबब बन सकते हैं। इसके अलावा पानी या तो गंदा आता है या आता ही नहीं है।
- शैलेश कुमार, प्रधान, सी-ब्लॉक आरडब्लूए

"स्नैचिंग काफी कम हुई है। पुलिस ने इन पर कंट्रोल किया है। स्नैचिंग की इन वारदातों को और कम करने के लिए एरिया में सीसीटीवी बढ़ाने की जरूरत है। - दिलताज हुसैन

"जोहड़ के पास छठ घाट है। वहां कुछ लोग शराब पीकर माहौल खराब करते हैं। कई जगहों पर शराबियों पर पुलिस ने कार्रवाई की है। यहां भी कुछ ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए ताकि शराबी आ न सकें। - बलदेव सिंह

"मुख्य रोड पर ट्रैफिक काफी अधिक है। इसकी वजह यह है कि दीनपुर गोयला डेयरी की हालत काफी खराब है। सड़कों पर गड्ढे होने की वजह से यहां वाहन चालक गिर जाते हैं। बारिश होती है तो हाल और बुरा हो जाता है।
- अनिरुद्ध राय

"मुख्य रोड पर कुछ रेहड़ी और ई-रिक्शा वालों का जाम लगता है। इन्हें आसपास में कहीं और जगह दी जानी चाहिए, ताकि यहां जाम न लगे।
- गुलशन

"बरात घर में बिजली-पानी की व्यवस्था करवानी चाहिए, ताकि जो लोग यहां बुकिंग करवाते हैं उन्हें परेशानी न हो। अभी बुकिंग करवाने के बाद न सिर्फ बुकिंग करवाने वाले बल्कि आसपास के लोग भी डीजी सेट से परेशान होते हैं।
- मोहित श्रीवास्तव

"पुलिस ने कई अपराध पर यहां काफी कंट्रोल किया है। शराब पीने वालों की संख्या काफी कम हुई है। अब भी कुछ जगहों पर समस्या है। यहां भी ध्यान देने की जरूरत है।
- राम विशाल मिश्रा

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

WWW.INDIANEXPRESS.COM
THE INDIAN EXPRESS, WEDNESDAY, SEPTEMBER 28, 2022

Saplings being planted in bulk to achieve targets: Plea in High Court

MALAVIKA PRASAD
NEW DELHI, SEPTEMBER 27

THE DELHI High Court Tuesday issued notices to the Delhi government, Ministry of Environment, Forest and Climate Change and Delhi Development Authority (DDA) in a public interest litigation (PIL), which states that bulk/single-day plantations are done by public authorities in the national capital to "achieve numerical targets". The plea seeks an SIT probe to ascertain the number and kind of saplings planted in Delhi in the last five years, the costs incurred, and the survival.

The counsel for the petitioner, Akash Vashishtha, argued that none of the agencies that conducted plantations were maintaining proper records regarding the species, numbers, exact areas, geotagged locations, costs involved and survival.

"No information pertaining to the plantations are made publically available on their websites, not allowing a common citizen to view such important information and participate or to provide feedback. The grim survival rate is primarily because of the wrong method, single-day bulk plantations; invasive species are planted instead of native ones which is destroying the city's biodiversity," Vashishtha submitted. The plea has been preferred by environmentalist Diwan Singh, to apprise the court of "the improper, haphazard, mindless, unscientific, non-native, biodiversity-discouraging, invasive, ecologically-disastrous and inconsequential plantations being carried out, inter alia, by the Department of Environment and Forests, Government of National Capital Territory; Delhi Development Authority (DDA); Municipal Corporation of Delhi (MCD); New Delhi Municipal Council; PWD; CPWD; Airports Authority of India; and the Archaeological Survey of India".

The plea states that the land available for plantations in Delhi is scarce and the number of saplings planted on a given piece of land is disproportionately excessive, which leads to unnaturally cluttered/crowded and unhealthy growth. The petition also raises the issue of high mortality of saplings, grim survival rate, and the lack of adequate maintenance/care needed for fresh, tender saplings.

The petitioner has prayed for the constitution of a SIT or any other appropriate independent inquiry committee comprising expert agencies to look into the issue. The petition further prays for the constitution of an independent expert committee to assess and verify the mortality and survival of saplings in all future plantations of all departments. The plea further seeks that Ministry of Environment, Forest & Climate Change be directed to issue directions under Section 5 of the Environment (Protection) Act, 1986 to all departments conducting plantations, to necessarily maintain all fresh or compensatory plantations for a minimum period of 8-10 years, either departmentally or through contractors.

The matter is next listed on February 7, 2023.

THE TIMES OF INDIA, NEW DELHI
WEDNESDAY, SEPTEMBER 28, 2022

HC laments death of two in sewer

New Delhi: Delhi High Court on Tuesday lamented the death of two persons who inhaled toxic gases inside a sewer in the capital earlier this month and observed that despite there being laws, scavenging work continues to be performed. A bench headed by Chief Justice Satish Chandra Sharma, who was hearing public interest litigation initiated on its own based on a news report of the incident, granted time to the Delhi Development Authority to state its stand.

A sweeper and a security guard died on September 9 in Outer Delhi's Mundka area after they inhaled toxic gases inside a sewer.

"The matter pertains to the death of a scavenger and despite all the laws, they were forced to do this," the bench observed on Tuesday. PTI

THE TIMES OF INDIA, NEW DELHI
WEDNESDAY, SEPTEMBER 28, 2022

Petition claims 'haphazard' plantation, HC seeks response

TIMES NEWS NETWORK

New Delhi: Delhi High Court on Tuesday sought the stand of the Centre and the Delhi government on a petition raising concerns about plantation exercises carried out in the city by the authorities.

A bench of Chief Justice Satish Chandra Sharma and Justice Subramonium Prasad issued notice on the public interest litigation by Diwan Singh, an environmentalist, who asserted that there were "unscientific and haphazard plantations" in the national capital, followed by "high mortality" due to absence of adequate care. The court also sought the response of other authorities, including DDA, MCD, public works department, and Central Pollution Control Board.

The petitioner, represented by lawyer Akash Vashishtha, claimed that to achieve the numerical targets, the public authorities were conducting "bulk/single-day plantations" and even planting ornamental and exotic saplings at the cost of native varieties, ignoring the principles laid down under Delhi Preservation of Trees Act, 1994.

The PIL stated that the purpose behind plantations was to reduce pollution, but the same remained "unaccomplished" in spite of huge costs to the public exchequer, and the petitioner, thus, prayed that a special investigation team or an independent expert committee be constituted to look into the matter.

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

NAME OF NEWSPAPE नई दिल्ली, 28 सितंबर, 2022 दैनिक जागरण ATED----------

सफाईकर्मियों की मौत से हाई कोर्ट चिंतित

- कहा, कानून होने के बाद भी सफाईकर्मियों के माध्यम से कराई जा रही है सीवर की सफाई
- न्याय मित्र ने कोर्ट को बताया, वर्ष 2012 से 2017 के बीच हुई 800 लोगों की मौत

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली : राष्ट्रीय राजधानी में सीवर के अंदर जहरीली गैस से हुई दो लोगों की मौत पर दुख और चिंता जताते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने टिप्पणी की कि कानून होने के बावजूद सफाईकर्मियों से सफाई का काम जारी है। मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र और सुब्रमण्यम प्रसाद की पीठ ने कहा कि मामला एक सफाईकर्मी की मौत से संबंधित है और सभी कानूनों के बावजूद उन्हें ऐसा करने के लिए विवश किया गया।

सुनवाई के दौरान न्याय मित्र और वरिष्ठ अधिवक्ता राजशेखर राव ने पीठ को बताया कि जैसा कि वर्ष 2012 और 2017 के बीच एक अन्य मामले में हाई कोर्ट द्वारा पूर्व में दिए गए आदेश में दर्ज किया गया था कि दिल्ली में सफाईकर्मियों की मौत के 800 से अधिक मामले थे। दिल्ली सरकार के वकील संतोष कुमार त्रिपाठी ने कहा कि घटना के संबंध में पहले ही एक प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है और इस मामले में निष्पादन एजेंसी को उत्तरदायी बनाया जाना चाहिए। इस पर दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) की ओर से पेश अधिवक्ता ने निर्देश लेने के लिए समय देने की मांग की। इस पर मुख्य पीठ ने डीडीए को निर्देश लेने के लिए समय देते हुए सुनवाई छह अक्टूबर तक के लिए स्थगित कर दी।

अखबार में प्रकाशित खबर पर घटना का स्वतः संज्ञान लेकर हाई कोर्ट ने जनहित याचिका शुरू की थी। बाहरी दिल्ली के मुंडका इलाके में नौ सितंबर को एक सफाईकर्मी और एक सुरक्षा गार्ड की सीवर में जहरीली गैस के कारण मौत हो गई थी। पुलिस ने कहा था कि जब सफाईकर्मी सीवर साफ करने के लिए नीचे गया तो वह बेहोश हो गया। उसे बचाने के लिए गार्ड सीवर में उतरा तो वह भी बेहोश हो गया। दोनों को अस्पताल ले जाया गया जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। पिछली सुनवाई पर दिल्ली जल बोर्ड ने पीठ को सूचित किया था कि घटना डीडीए के क्षेत्राधिकार में हुआ था और कर्मचारी भी डीडीए के थे।

पौधारोपण पर केंद्र व दिल्ली सरकार को नोटिस

- पर्यावरणविद् दीवान सिंह ने याचिका में अवैज्ञानिक व बेतरतीब पौधारोपण पर जताई है चिंता
- याची ने की मामले को देखने के लिए विशेष जांच दल गठित करने का निर्देश देने की मांग

जासं, नई दिल्ली : दिल्ली में पौधारोपण करने के तरीके पर चिंता जताते हुए दायर जनहित याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र और दिल्ली सरकार से जवाब मांगा है। पर्यावरणविद् दीवान सिंह की याचिका पर मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा और न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद की पीठ ने डीडीए, दिल्ली नगर निगम, लोक निर्माण विभाग, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के साथ-साथ अन्य अधिकारियों से भी जवाब मांगा है।

वकील आकाश वशिष्ठ के माध्यम से दायर याचिका में दावा किया गया है कि राष्ट्रीय राजधानी में अवैज्ञानिक और बेतरतीब तरीके से पौधारोपण किया जा रहा है। पर्याप्त देखभाल के अभाव में ज्यादातर पौधे मर जाते हैं। याचिका में दावा किया गया है कि संख्यात्मक लक्ष्य पाने के लिए सार्वजनिक प्राधिकरण एक ही दिन में बड़े पैमाने पर पौधारोपण करते हैं। यहां तक कि देशी किस्मों की कीमत पर सजावटी और विदेशी पौधों का रोपण किया जा रहा था, जो दिल्ली संरक्षण अधिनियम-1994 के तय सिद्धांतों के अनुरूप नहीं है। उन्होंने कहा कि पौधारोपण का मुख्य उद्देश्य प्रदूषण को कम करना है, लेकिन सरकारी खजाने की भारी लागत के बावजूद यह अधूरा है। उन्होंने इस मुद्दे को देखने के लिए एक विशेष जांच दल या एक स्वतंत्र विशेषज्ञ समिति का गठन करने का निर्देश देने की मांग की।

याचिका में कहा गया कि कैग की एक रिपोर्ट के अनुसार पौधारोपण अभ्यास पर उचित जानकारी देने में दिल्ली सरकार असफल रही है और दिल्ली वृक्ष प्राधिकरण पेड़ों को संरक्षित करने और ले जाने के अपने कर्तव्यों का पालन करने में भी विफल रहा है। उन्होंने कहा कि दिल्लीवासियों को स्वच्छ और स्वस्थ वातावरण का अधिकार है और केंद्र को स्वस्थ जीवन के लिए प्रति एक लाख आबादी पर न्यूनतम पौधारोपण निर्धारित करने और डीडीए को हरित आवरण में कमी को दूर करने के लिए निर्देश देने की भी मांग की।

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

नवभारत टाइम्स । नई दिल्ली । बुधवार, 28 सितंबर 2022

30 वर्षों में यमुना के 22 किमी डूब क्षेत्र में बस गईं 56 बस्तियां

Sudama.Yadav@timesgroup.com

■ **नई दिल्ली :** यमुना का जलस्तर बढ़ने पर निचले इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए खतरा बढ़ गया है। वजीराबाद से लेकर ओखला बैराज तक यमुना के करीब 22 किमी लंबे बाढ़ के दृष्टिकोण से संवेदनशील इलाके में छोटी-बड़ी 56 बस्तियां हैं, जिनमें 46 हजार से ज्यादा की आबादी है। यमुना के इस फ्लड प्लेन इलाके में खेती के नाम पर इतनी बड़ी आबादी और हजारों झुग्गियां बस गई हैं कि अब डीडीए के लिए इन झुग्गियों को हटाना मुश्किल हो रहा है।

30 साल पहले कुछ झुग्गियां ही थीं

बेला गांव में रहने वाले रामनाथ का कहना है कि पिछले 35 वर्षों से वे यहीं रहते हैं। वजीराबाद से लेकर ओखला बैराज तक यमुना के निचले इलाकों में खेती करने वाले किसानों ने अपने मजदूरों के रहने के लिए एक या दो झुग्गियां बनाई थीं। जो मजदूर यहां खेती करने आए उन्होंने अपने परिवार के कुछ अन्य सदस्यों को भी काम-धंधे या नौकरी के लिए यहां बुला लिया। ऐसे करके ही यहां झुग्गियों की संख्या बढ़ती चली गई और अब आबादी हजारों में हो गई है।

इन बस्तियों में करीब 9350 परिवार रहते हैं

वजीराबाद बैराज से लेकर ओखला बैराज तक करीब 22 किमी का फ्लड प्लेन एरिया है। फ्लड प्लेन एरिया में इतनी दूरी तक करीब 56 बस्तियां हैं। इन बस्तियों में करीब 9350 परिवार रहते हैं। इन परिवारों की कुल जनसंख्या 46 हजार से भी अधिक है। जितने परिवार इस डूब क्षेत्र में रहते हैं, इस एरिया में खेती करने वाले किसानों की संख्या उससे आधे से थोड़ी अधिक है। यानी फ्लड प्लेन एरिया में जिन किसानों को खेती करने की अनुमति है, उनकी संख्या करीब 4835 है।

पिछले 30 वर्षों में यमुना के इन निचले इलाकों में 50 से अधिक बस्तियां बस गई हैं। बेला गांव, बेला स्टेट और आईटीओ के पास जो बस्तियां हैं, सब ऐसे ही बसी हैं। विजय घाट बेला स्टेट के रहने वाले मोहित का कहना है कि इन बस्तियों में रहने वाले अब खेती करने वाले मजदूर नहीं हैं। किसी ने मवेशी पाल रखा है और दूध निकालकर बेचता है, तो कोई नौकरी करता है, तो कोई कबाड़ का धंधा करता है। कभी-कभी इस एरिया में झुग्गियों को हटाने के लिए कार्रवाई भी की जाती है। लेकिन, लोग दोबारा झुग्गियां डाल लेते हैं।

सरकारी विभागों में जल्द लागू होगा 5जी नेटवर्क

हिन्दुस्तान

नई दिल्ली, वरिष्ठ संवाददाता। दिल्ली के सरकारी विभागों में अब सर्वर डाउन होने की समस्या खत्म होने जा रही है। इंटरनेट, खासकर 5जी इंटरनेट के बुनियादी ढांचे को कैसे उन्नत किया जा सकता है, इसका आंकलन करने के लिए काम शुरू हो गया है।

दिल्ली के सभी सरकारी विभाग खासकर दिल्ली पुलिस, दिल्ली विकास प्राधिकरण, दिल्ली मेट्रो सहित अन्य प्रमुख विभागों में जल्द ही सभी काम 5जी नेटवर्क से होंगे। इसके लिए विभागों और इमारतों में छोटे मोबाइल टावर या बूस्टर डिवाइसों को लगाया जाएगा। छोटी सेल साइटें मूलरूप से मोबाइल फोन के उच्च घनत्व वाले क्षेत्रों में नेटवर्क को बढ़ाने के लिए होती हैं, जैसे भीड़-भाड़ वाला चांदनी चौक बाजार या एक स्टेडियम जिसमें हजारों लोग रहते हैं।

मजदूरों की मौत को अफसोसजनक बताया

नई दिल्ली। पश्चिमी दिल्ली के मुंडका इलाके में सीवर सफाई के दौरान दो मजदूरों की मौत पर उच्च न्यायालय ने मंगलवार को अफसोस जताया। न्यायालय ने कहा है कि यह दुर्भाग्य की बात है कि कानून होने के बाद भी हाथों से सीवर की सफाई काम जारी है। मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा और न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद की पीठ ने डीडीए को अपना पक्ष रखने का समय देते हुए यह टिप्पणी की है। मुंडका इलाके में 9 सितंबर को सीवर सफाई के दौरान एक सफाईकर्मी और एक सुरक्षा गार्ड की दम घुटने से मौत हो गई थी।

Hindustan Times

HC ASKS FOR DELHI GOVT, CENTRE'S STAND ON PLEA SEEKING TREE DATA

HT Correspondent
letters@hindustantimes.com

NEW DELHI: The Delhi high court on Tuesday sought the stand of the Union and Delhi governments on a plea by an environmentalist seeking a probe by a special investigation team (SIT) or an independent inquiry committee to ascertain the numbers and varieties of tree saplings planted in Delhi over the past five years, as well as the costs incurred and their survival rate.

A bench of chief justice Satish Chandra Sharma and justice Subramonium Prasad issued notice on the public interest litigation (PIL) by Diwan Singh, an environmentalist, who raised the issue of plantations by government agencies that are ecologically inconsequential and discourage biodiversity in the Capital.

The petitioner, in his petition, asserted that there were "unscientific and haphazard plantations" in the national capital, followed by "high mortality" due to absence of adequate care for fresh saplings.

The court also sought the response of the Delhi Development Authority (DDA), Municipal Corporation of Delhi (MCD), Public Works Department, Central Pollution Control Board as well as other authorities on the plea.

The plea stated that the purpose behind plantations is to reduce pollution, an aim that remained "unaccomplished" in spite of huge costs to the public exchequer. The petitioner thus prayed that an SIT or an independent expert committee be constituted to look into this issue.

The city is dogged by toxic pollution levels every winter.

The matter will be heard next in February 2023.

DELHI HC: MANUAL SCAVENGING STILL ON DESPITE LAWS

NEW DELHI: The Delhi high court on Tuesday observed that manual scavenging work continues to be performed despite laws banning the practice, as it lamented the death of two people earlier this month after they inhaled toxic gases inside a sewer in the Capital.

"The matter pertains to the death of a scavenger and despite all the laws, they were forced to do this," the court remarked.

On September 9, a sweeper and a security guard died in outer Delhi's Mundka after they inhaled toxic gases inside a sewer. Three days later, the high court had taken suo motu cognizance of the deaths.

On Tuesday, following the bench's observations, the lawyer for Delhi Development Authority (DDA) sought time to seek instructions on the plea, and the court listed the case for further hearing on October 6 this year.

HTC

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

NAME राष्ट्रीय सहारा • 28 सितम्बर • 2022 DATED

पौधरोपण के तरीके पर केंद्र व दिल्ली सरकार से मांगा जवाब

नई दिल्ली (एसएनबी)। राजधानी में चल रहे पौधरोपण पर सवाल उठाने वाली याचिका पर हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफसीसी) व अन्य को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा व न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद की पीठ उनसे पिछले पांच वर्षों के दौरान राजधानी में लगाए गए पौधों की संख्या एवं लागत निर्धारण के मुद्दे पर जवाब देने को कहा है। साथ ही टिप्पणी की कि सरकारी एजेंसियां केवल संख्यात्मक लक्ष्यों एवं उपलब्धियों को प्रचारित करने पर ध्यान केंद्रित कर रही है, वास्तविक पर्यावरणीय लक्ष्यों पर नहीं।

याचिकाकर्ता ने कहा है कि राजधानी में अवैज्ञानिक एवं बेतरतीब तरीके से पौधारोपण किया जा रहा है। उन पौधों की पर्याप्त देखरेख नहीं होने से उनकी सूखने की दर बहुत अधिक है। पीठ ने इस मामले में दोनों सरकारों के अलावा दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए),

सरकारी एजेंसियां केवल संख्यात्मक लक्ष्यों एवं उपलब्धियों को प्रचारित करने पर ध्यान केंद्रित कर रही हैं, वास्तविक पर्यावरणीय लक्ष्यों पर नहीं : हाईकोर्ट

दिल्ली नगर निगम (एमसीडी), लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी), केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) व अन्य संबंधित प्राधिकारों से भी जवाब देने को कहा है।

पीठ ने यह निर्देश दीवान सिंह की जनहित याचिका (पीआईएल) पर सुनवाई करते हुए दिया है। याचिका में इसको लेकर एसआईटी जांच या एक स्वतंत्र जांच समिति गठित करने की भी मांग की गई है। उसमें एमओईएफसीसी एवं सभी रोपण एजेंसियों से पौधों के बचाव को लेकर आगे का निर्देश जारी करने का निर्देश देने की मांग की गई है, जिससे सभी नए या प्रतिपूरक पौधरोपण को कम से कम 8 से 10 वर्षों के लिए बचाव किया जा सके। याचिकाकर्ता ने बड़े पैमाने पर या एक दिवसीय वृक्षारोपण करने वाली सरकारी एजेंसियों के कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़ा किया है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से वे पैधरोपण कर रहे है, उससे पारिस्थितिक संतुलन नहीं होगा। उनका यह काम व्यर्थ जा रहा है। साथ ही जैव-विविधता पैदा कर रहा है जिससे प्रदूषण और बढ़ेगा ही। वे सिर्फ संख्या बल पर ध्यान दे रहे हैं।

याचिका में यह भी कहा कि पौधों के शुरूआती दिनों में रखरखाव नहीं होने से उनके सूख जाने का डर ज्यादा होता है। याचिकाकर्ता के वकील आकाश वशिष्ठ ने कहा कि पौधरोपण करने वाला कोई भी संगठन प्रजातियों, संख्याओं, सटीक स्थानों, जियोटैग्ड स्थानों, संबंधित व्यय, अस्तित्व आदि पर सटीक रिकॉर्ड नहीं रख रहा है। कैग की रिपोर्ट में घोर अनियमितताओं और वस्तुतः निष्क्रिय दिल्ली वृक्ष प्राधिकरण को उजागर करती है।

नाले की सफाई में दो लोगों की मौत पर हाईकोर्ट ने जताया खेद

नई दिल्ली (एसएनबी)। हाईकोर्ट ने मुंडका इलाके में एक सीवर के अंदर जहरीली गैसों के कारण दो लोगों की मौत पर खेद जताया है। उसने अफसोस जताते हुए कहा कि कानून होने के बावजूद सीवर में हाथों से सफाई का काम जारी है। मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा व न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद की पीठ ने दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) को अपना रुख बताने के लिए समय प्रदान कर दिया और 6 अक्टूबर के लिए सुनवाई स्थगित कर दी।

पीठ ने मंगलवार को कहा कि यह मामला सफाईकर्मी की मौत से संबंधित है। सभी कानूनों के बावजूद उसे ऐसा करने के लिए मजबूर किया गया। न्याय मित्र वरिष्ठ अधिवक्ता राजशेखर राव ने कोर्ट को बताया कि जैसा कि एक अन्य मामले में हाईकोर्ट के पारित एक पूर्व आदेश में दर्ज किया गया था कि

कानून होने के बावजूद सीवर में हाथों से सफाई का काम जारी है : हाईकोर्ट

डीडीए को जवाब देने के लिए दिया और समय, सुनवाई 6 को

2012 से 2017 के बीच शहर में 800 सफाई कर्मचारियों की मौत के मामले आए

वर्ष 2012 से वर्ष 2017 के बीच शहर में सफाई कर्मचारियों की मौत के आठ सौ से अधिक मामले सामने आए थे। दिल्ली सरकार के वकील संतोष कुमार त्रिपाठी ने कहा कि घटना के संबंध में पहले ही एक प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। इसके लिए निष्पादन एजेंसी को उत्तरदायी बनाया जाना चाहिए।

पिछली सुनवाई पर दिल्ली जल बोर्ड (डीजेबी) के वकील ने कोर्ट को बताया था कि जिस इलाके में यह घटना हुई वह डीडीए के अधीन है। यहां तक कि सफाई कर्मचारी भी डीडीए का कर्मचारी है। डीडीए के वकील ने जनहित याचिका पर निर्देश लेने के लिए अदालत से समय मांग लिया।

पीठ ने यह टिप्पणी उससे संबंधित याचिका पर सुनवाई करते हुए कही। पीठ ने 12 सितम्बर को मीडिया खबर पर संज्ञान लेते हुए उसे जनहित याचिका मानकर सुनवाई शुरू की है। इस घटना में 9 सितम्बर को एक सफाईकर्मी एवं एक सुरक्षा गार्ड की मौत हो गई थी। जब सफाईकर्मी सीवर साफ करने के लिए नीचे गया तो वह बेहोश हो गया और गार्ड उसे बचाने के लिए नीचे उतरा और वह भी बेहोश हो गया। पुलिस के अनुसार दोनों युवकों को अस्पताल ले जाया गया जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया।

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

NAME OF NEWSPAPERS अमर उजाला ----------DATED---------- 28-9-2022

पांच मेट्रो स्टेशनों पर मल्टी मॉडल इंटिग्रेशन का रास्ता साफ

उपराज्यपाल ने एजेंसियों से स्टेशनों की पहचान करने को कहा, पॉयलट आधार पर होगा लागू

अमर उजाला ब्यूरो

नई दिल्ली। पांच मेट्रो स्टेशनों पर पॉयलट आधार पर मल्टीमॉडल इंटिग्रेशन (एमएमआई) को लागू किया जाएगा। इससे यात्रियों को अधिक भीड़भाड़ वाले स्टेशनों से बस, मेट्रो, टैक्सी सहित सभी परिवहन विकल्पों के इस्तेमाल में सुविधा होगी। उपराज्यपाल ने लोक निर्माण विभाग, परिवहन विभाग और दिल्ली विकास प्राधिकरण, एमसीडी और ट्रैफिक पुलिस को ऐसे पांच स्टेशनों की पहचान करने को कहा। एलजी ने 59 मेट्रो स्टेशनों के तहत स्वीकृत एमएमआई योजनाओं को अमलीजामा पहनाने में एजेंसियों के बीच बेहतर सामंजस्य की कमी पर असंतोष जाहिर करते हुए इसे बेहतर बनाने का निर्देश दिया।

उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने यूनिफाइड ट्रैफिक एंड ट्रांसपोर्टेशन

इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग एंड इंजीनियरिंग सेंटर (यूटिपेक) के शासी निकाय की 66 वीं बैठक की अध्यक्षता करते हुए सोमवार को ये निर्देश दिए। इस मौके पर झंडेवालान, राजेंद्र प्लेस और नांगलोई मेट्रो स्टेशन में एमएमआई परियोजनाओं को मंजूरी दे दी गई। कड़कड़डूमा मेट्रो स्टेशन के मौजूदा एमएमआई में संशोधन, एम्स, मास्टर प्लान को विश्वस्तरीय चिकित्सा विश्वविद्यालय का रूप देने के लिए परिसर के पुनर्विकास और यातायात प्रभावों संबंधी आकलन रिपोर्ट, एकीकृत ट्रांजिट कॉरिडोर वसहित कई परियोजनाओं को भी मंजूरी दी गई।

द्वारका मोड़ से पालम मेट्रो स्टेशन के बीच तैयार होगा एकीकृत ट्रांजिट कॉरिडोर

बैठक में द्वारका (के-द्वितीय) क्षेत्र के लिए व्यापक गतिशीलता योजना को मंजूरी दी गई। इसके तहत पांच चौराहों पर सुधार योजना, चलने के लिए उपयुक्त बनाने, सार्वजनिक परिवहन में सुधार, अंतिम छोर तक की पहुंच और पार्किंग सुविधाओं को बेहतर करने संबंधी योजनाओं को भी मंजूर किया गया। साथ ही मध्यम और दीर्घकालिक सुधार योजना के तहत द्वारका से पालम मेट्रो स्टेशन के बीच एकीकृत ट्रांजिट कॉरिडोर विकास योजना को भी मंजूरी दी गई।
उपराज्यपाल ने डिप्लोमेटिक एन्क्लेव, इंटीग्रेटेड मल्टी-स्पोर्ट्स और भारत वंदना पार्क के लिए बेहतर यातायात प्रबंधन और आवागमन की सुविधा को ध्यान में रखने के लिए कहा। इस मौके पर अधिकारियों को द्वारका से दिल्ली के दूसरे हिस्सों तक पहुंचने के लिए वैकल्पिक और सड़कों की निकासी की संभावनाओं की पहचान कर उसे पेश करने को कहा।

10 किमी के दायरे में बनेगा साइकिल ट्रैक

न्यू मोती बाग से केंद्रीय सचिवालय के बीच करीब 10 किलोमीटर के दायरे में साइकिल ट्रैक बनाने के प्रस्ताव को भी बैठक में स्वीकृत किया गया है। नई दिल्ली पालिका परिषद (एनडीएमसी) क्षेत्र में इस परियोजना के तहत न्यू मोती बाग से साउथ ब्लॉक-नॉर्थ ब्लॉक-निर्माण भवन-शांति पथ-नीति मार्ग-कौटिल्य मार्ग-गोपीनाथ बारदोलोई मार्ग-तीन मूर्ति मार्ग-कुशक रोड-राजाजी मार्ग-के कामराज मार्ग मार्ग- मौलाना आजाद रोड/रफी मार्ग-रेड क्रॉस रोड-संसद मार्ग-जीआरजी रोड-पंडित पंत मार्ग तक साइकिल ट्रैक का निर्माण किया जाएगा।

इंस्टीट्यूशन एरिया तक पहुंचने के लिए सड़कें होंगी चौड़ी

बैठक में उपराज्यपाल ने छतरपुर से मैदानगढ़ी, सरयूपुर और सतबड़ी सहित इंस्टीट्यूशनल एरिया तक पहुंचने वाले मार्ग की परियोजना पर हुए प्रगति पर चर्चा की। यहां सार्क विश्वविद्यालय, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल प्रबंधन विज्ञान संस्थान, एचयूपीए और एनआईसी सहित दूसरे भवनों का निमारण किया जाएगा।
अधिकारियों ने एलजी को बताया कि मौजूदा सड़क को चौड़ा करने के लिए करीब 30 मीटर तक निजी भूमि के अधिग्रहण की आवश्यकता होगी। वन विभाग की मंजूरी जरूरी है क्योंकि इस क्षेत्र को रूपात्मक रिज घोषित किया गया था। इस क्षेत्र में विकसित हो रहे संस्थानों तक पहुंचने के लिए सड़कों को चौड़ा करने को महत्वपूर्ण बताते हुए एलजी ने डीडीए को इसके लिए संभावनाएं तलाशने को कहा।

सफाई काम में हो रहा नियमों का उल्लंघन : अदालत

नई दिल्ली। उच्च न्यायालय ने इस महीने की शुरुआत में राजधानी में सीवर के अंदर जहरीली गैसों के कारण दो लोगों की मौत पर अफसोस जताया है। अदालत ने कहा कि तय नियमों का उल्लंघन कर सफाई का काम जारी है। मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा व न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद की पीठ ने यह टिप्पणी मामले में दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) को अपना रुख बताने के लिए समय प्रदान करते हुए की। ब्यूरो

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

NAME OF NEWSPAPERS----------DATED----------

THE HINDU

DDA likely to issue conditional notice for Land Pooling Policy

The Hindu Bureau
NEW DELHI

The urban body issued conditional notices for consortium formation in May

The Delhi Development Authority (DDA) is soon likely to issue a conditional notice for the formation of a consortium at Sector -17A in Zone- N, identified as part of the urban body's land pooling policy (LPP), according to a senior DDA official.

The urban body first issued conditional notices for consortium formation to landowners in May in three sectors in Zones N and P-II.

The conditional notices provide the landowners, who have expressed their interest in the LPP, a period of 90 days to convince the remaining landowners to participate and ensure a minimum of 70% contiguous land in a sector earmarked for the LPP.

The failure to convince other owners to pool in their land parcels within the stipulated time results in the notices being cancelled or withdrawn.

"We have received close to 140 applications by owners who are willing to pool in 130 hectares of land, since the portal for applications was reopened in May. More conditional notices may be issued in the meanwhile," said the DDA official.

The official added that the urban body is also reaching out to convince landowners in the remaining zones to participate in the policy. Currently, 104 villages – which have been divided into six zones and further divided into 129 sectors – have been identified for land pooling.

28 सितम्बर • 2022 | राष्ट्रीय सहारा

एमसीडी ने 16 पार्कों में स्थापित किए 20 'बर्ड फीडर'

नई दिल्ली (एसएनबी)। दिल्ली नगर निगम के शाहदरा उत्तरी एवं शाहदरा दक्षिणी क्षेत्र के 16 पार्कों में 20 'बर्ड फीडर' स्थापित किए गए हैं। निगम द्वारा स्थापित 'बर्ड फीडर' जमीन से ऊपर उठकर एक प्लेटफार्म पर लगाए गए हैं, ताकि पक्षियों को डाला गया दाना जमीन पर न बिखरे और चूहे एवं घूस जैसे मूषक प्रजाति के जीव बिखरे हुए अनाज के लिए पार्कों की जमीन में अपने बिल न बनाएं। चूहों के बनाए बिलों की वजह से पार्कों की जमीन घास एवं पेड़-पौधे लगाने के लायक नहीं रहती।

इससे पार्कों में मूषक प्रजाति के जीवों से मिलेगी निजात

निगम अधिकारियों ने बताया कि शाहदरा उत्तरी एवं शाहदरा दक्षिणी क्षेत्र के मंडावली पौंड पार्क में चार एवं महिला पार्क शकरपुर, संजय पार्क शकरपुर, हसनपुर पार्क, कृष्णा नगर सेंट्रल पार्क है। जे एवं के पॉकेट पार्क दिलशाद गार्डन, डी 1 सेंटर पार्क नंदनगरी, ए 3 सेंटर पार्क नंदनगरी, पार्क नं 24 एफ पॉकेट जीटीबी एन्क्लेव, जनता फ्लैट के सामने स्थित पार्क हैं। इसके अलावा सी ब्लॉक सेंट्रल पार्क दिलशाद गार्डन, सत्संग पार्क डीडीए फ्लैट्स मानसरोवर पार्क, तिकोना पार्क लोनी रोड, शहीद भगत सिंह पार्क यमुना विहार, हनुमान वाटिका यमुना विहार एवं बड़ा पार्क वेस्ट ज्योति नगर में एक-एक बर्ड फीडर स्थापित किए गए हैं। इसके अलावा पार्कों में तैनात मालियों को निर्देश दिए हैं कि वे सुनिश्चित करें कि इन बर्ड फीडरों में पानी एकत्र न होने पाए, ताकि डेंगू, मलेरिया जैसी मच्छरजनित बीमारियों के फैलने की कोई भी स्थिति पैदा न हो।

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

millenniumpost
WEDNESDAY, 28 SEPTEMBER, 2022 | NEW DELHI ----------DATED----------

L-G gives go ahead to Dwarka mobility plan

SATVIKA MAHAJAN

NEW DELHI: Delhi V.K. Saxena chaired the 66th Meeting of the Governing Body of Unified Traffic & Transportation Infrastructure Planning & Engineering Center (UTTIPEC) on September 26, 2022.

He approved the action taken report from the last meeting held on April 26, 2022 and various far-reaching projects that will help ease the traffic situation and improve transport and transit in the city were deliberated upon and approved. Saxena stressed upon the need for comprehensive prospective planning that took into account all developmental projects in an area before finalizing the proposals for approval of UTTIPEC.

The L-G was informed that widening of the road from existing 7 metres to 30 metres. would require acquisition of private land and more importantly clearance of the Forest Department that had declared the entire area as 'morphological ridge' for a project of approach road from Chattarpur to Institutional area in Maidan Garhi. He issued instructions to DDA to explore the possibility of widening the road to the extent possible taking into account the land available with DDA, Gram Sabha and the Forest Department and also came up with another design which included the private land.

Fresh proposals were also approved during the meeting, such as Implementation of Master Plan of AIIMS New Delhi, Preparation of cycle track on the route across Delhi-NCR, Preparation of Comprehensive Mobility Plan for Dwarka (K-II) Zone, and Multi Modal Integration (MMI) Plan of Jhandewalan Metro Station, Rajendra Place Metro Station and Nangloi Metro Station.

Saxena also expressed dissatisfaction over the lack of inter-agency coordination for successful implementation of the hitherto approved MMI plans for 59 Metro stations.

Delhi HC laments death of 2 in sewer

OUR CORRESPONDENT

NEW DELHI: The Delhi High Court Tuesday lamented the death of two persons who inhaled toxic gases inside a sewer in the national capital earlier this month and observed that despite there being laws, scavenging work continues to be performed.

A bench headed by Chief Justice Satish Chandra Sharma, who was hearing PIL initiated on its own based on a news report of the incident, granted time to the Delhi Development Authority (DDA) to state its stand.

A sweeper and a security guard died on September 9 in Outer Delhi's Mundka area after they inhaled toxic gases inside a sewer.

When the sweeper had gone down to clean the sewer, he fainted and the guard followed to rescue him and he also fell unconscious, the police had said.

The two men were taken to a hospital where they were declared brought dead.

The matter pertains to the death of a scavenger and despite all the laws, they were forced to do this, the bench also comprising Justice Subramonium Prasad observed on Tuesday.

Senior advocate Rajshekhar Rao, the amicus curiae in the case, told the court that as recorded in an earlier order passed by the high court in another case, between 2012 and 2017, there were over 800 cases of deaths of safai karamcharis in the city.

Delhi government counsel Santosh Kumar Tripathi said that an FIR has already been registered concerning the incident and the executing agency should be made liable.

पंजाब केसरी

आसुरी आतताई वध का मंचन

विवेक विहार थाने के सामने डीडीए ग्राउंड में भव्य रामलीला सोसाइटी की ओर से आयोजित रामलीला में भगवान राम, भरत, लक्ष्मण व शत्रुघ्न के जन्म की लीला का दिव्य अवलोकन कराया गया। उनकी किशोरावस्था तक की लीला पर प्रकाश डाला गया। गुरु विश्वामित्र जी के साथ जाकर आसुरी आतताई ताड़का मारीच आदि असुरों का वध करते हैं। इस दौरान कमेटी के चेयरमैन नरेश कोचर, वरिष्ट उप प्रधान अभिषेक बिसारिया, शंटी छाबड़ा (ईडी) आदि थे।

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

NAME OF NEWSPAPERS---------- दैनिक भास्कर • 28 सितम्बर • 2022

भास्कर खास • एमएमआइ योजना में झंडेवालान, नांगलोई मेट्रो स्टेशन सहित 59 मेट्रो स्टेशनों के लिए स्वीकृत

उपराज्यपाल का अधिकारियों को निर्देश, जिन विकास योजनाओं पर कार्य चल रहा, उन्हें समय पर पूरा करें

भास्कर न्यूज | नई दिल्ली

दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वो डीडीए और ग्राम सभा के पास उपलब्ध भूमि को ध्यान में रखते हुए सड़क को चौड़ा करने की संभावनाओं को तलाश करें। इसके साथ ही उपराज्यपाल ने एमएमआइ योजना में झंडेवालान, राजेंद्र प्लेस, नांगलोई मेट्रो स्टेशन सहित 59 मेट्रो स्टेशनों के लिए स्वीकृत एमएमआइ योजनाओं के सफल कार्यान्वयन के लिए लिए एजेंसियों के समन्यव में कमी को लेकर उपराज्यपाल ने असंतोष व्यक्त किया है। उपराज्यपाल ने कहा है कि दिल्ली में जिन विकास योजनाओं पर कार्य चल रहा है। उन्हें समय पर पूरा किया जाना चाहिए। इसमें किसी तरह की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उपराज्यपाल आज यूनिफाइड ट्रैफिक एंड ट्रांसपोर्टेशन इन्फ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग एंड इंजीनियरिंग सेंटर (यूटीपैक) की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे।

दिल्ली के विकास से जुड़ी कई परियोजनाओं को स्वीकृति

उपराज्यपाल ने दिल्ली के विकास से जुड़ी परियोजनाओं के कई प्रस्तावों को भी स्वीकृति दी। जिसमें एम्स नई दिल्ली के मास्टर प्लान को विश्व स्तरीय चिकित्सा विश्वविद्यालय में बदलने के लिए कार्यान्वयन, न्यू मोती बाग से साउथ ब्लाक, नार्थ ब्लाक, निर्माण भवन-शांति पथ-नीति मार्ग-कौटिल्य मार्ग-गोपीनाथ बारदोलोल मार्ग-तीन मूर्ति मार्ग-कुशक रोड-राजाजी मार्ग-के कामराज मार्ग पर साइकिल ट्रैक की तैयारी और मौलाना आजाद रोड,रफी मार्ग-रेड क्रास रोड-संसद मार्ग-जीआरजी रोड-पंडित पंथ मार्ग, द्वारका (द्वितीय) के क्षेत्र के लिए व्यापक गतिशीलता लाने की तैयारी सहित इसमें मेट्रो स्टेशन की दीर्घकालिक सुधार योजना में चिन्हित क्रिटिकल कारिडोर के लिए एकीकृत ट्रांजिट कारिडोर विकास योजना के अलावा कई अन्य योजनाएं शामिल हैं। सूत्रों ने बताया कि बैठक में छतरपुर से मैदानगढ़ी, सरयूपुर और सतबारी में संस्थागत क्षेत्र तक पहुंच मार्ग की परियोजना पर चर्चा की गई।

7 मीटर से सड़क को 30 मीटर चौड़ा करना है

यहां सार्क विश्वविद्यालय, क्रेंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल प्रबंधन विज्ञान संस्थान, एचयूपीए और एनआइसी आदि के भवन बनने वाले हैं। इसके लिए 7 मीटर से सड़क को चौड़ा करके 30 मीटर किया जाना है। इसके लिए भूमि के अधिग्रहण की आवश्यकता होगी। इसके लिए सबसे बड़ा पेच वन विभाग की मंजूरी होगी। इसमें तत्काल और अल्पकालिक सुधार योजना में 5 जंक्शनों के लिए चौराहा सुधार योजना, आवागमन में सुधार, सार्वजनिक परिवहन सुधार, लास्ट माइल कनेक्टिविटी, ई- पार्किंग सुधार और समाधान शामिल हैं।

चुहों से मिलेगी निजात

एमसीडी ने अपने 16 पार्कों में स्थापित किए 20 बर्ड फीडर

नई दिल्ली | दिल्ली नगर निगम के शाहदरा उत्तरी एवं शाहदरा दक्षिणी क्षेत्र के 16 पार्कों में 20 बर्ड फीडर स्थापित किए गए हैं। निगम द्वारा स्थापित बर्ड फीडर जमीन से ऊपर उठकर एक प्लेटफार्म पर लगाए गए हैं, ताकि पक्षियों को डाला गया दाना जमीन पर न बिखरे और चूहे एवं अन्य जीव बिखरे हुए अनाज के लिए पार्कों की जमीन में अपने बिल न बनाएं। क्योंकि चूहों के बनाए बिलों के कारण पार्कों की जमीन घास एवं पेड़ पौधे लगाने के लायक नहीं रहती। शाहदरा उत्तरी एवं शाहदरा दक्षिणी क्षेत्र के मंडावली पौंड पार्क में 4 एवं महिला पार्क शकरपुर, संजय पार्क शकरपुर, हसनपुर पार्क, कृष्णा नगर सेंट्रल पार्क, जे एवं के पॉकेट पार्क दिलशाद गार्डन, डी 1 सेंटर पार्क नंदनगरी, 3 सेंटर पार्क नंदनगरी पार्क नंबर 24 एफ पॉकेट जीटीबी एनक्लेव, जनता फ्लैट के सामने स्थित पार्क, सी ब्लॉक सेंट्रल पार्क दिलशाद गार्डन, सत्संग पार्क डीडीए फ्लैट्स मानसरोवर पार्क, तिकोना पार्क लोनी रोड, शहीद भगत सिंह पार्क यमुना विहार, हनुमान वाटिका यमुना विहार एवं बड़ा पार्क वेस्ट ज्योति नगर में 1-1 बर्ड फीडर स्थापित किए गए है।

राष्ट्रीय सहारा

द्वारका के लिए मोबिलिटी योजना को एलजी की मंजूरी

नई दिल्ली (एसएनबी)। उप-राज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने मंगलवार को द्वारका के विकास से जुड़ी 'मोबिलिटी योजना' को मंजूरी दे दी। इस योजना का उद्देश्य उप-नगर के अंतिम छोर को मुख्य सड़क से जोड़ना और सार्वजनिक परिवहन प्रणाली को मजबूत बनाना है। बैठक के दौरान आपसी तालमेल की कमी एवं कार्य की रफ्तार पर निराशा जताई। विशेषकर मेट्रो के 59 स्टेशनों को मल्टी मॉडल इंटीग्रेटेड (एमएमआई) की योजना को लेकर अधिकारियों के रुख पर नाराजगी भी जताई। एकीकृत यातायात एवं परिवहन के आधार भूत ढ्रांचे के नियोजन एवं इंजीनियरिंग केंद्र (यूटीटीआईपीसी) के शासी निकाय की 66वीं बैठक की अध्यक्षता करते हुए उप-राज्यपाल ने इस योजना को मंजूरी दी है। बैठक में डीडीए, दिल्ली नगर निगम, पीडब्ल्यूडी, परिवहन विभाग, यातायात पुलिस के अधिकारी शामिल थे।

बैठक में उन्होंने सभी एजेंसियों के अधिकारियों से आपसी तालमेल मजबूत करने को कहा। जिससे इन योजना को अलग-अलग विभागों से जल्द से जल्द अनुमति मिल सके। बैठक में सक्सेना ने बार-बार समय की प्रतिबद्धता पर जोर देते हुए कहा कि इसका कड़ाई से पालन हो। इस

विकास की योजनाओं को लेकर आपसी तालमेल की कमी पर उप राज्यपाल ने जताई नाराजगी

छतरपुर-सतबड़ी सड़क की चौड़ाई बढ़ाने का निर्णय

योजना में भूमिका निभाने वाली एजेंसियों के अधिकारियों को आपसी तालमेल बढ़ाने के निर्देश देते हुए कहा कि प्रायोगिक आधार पर उन पांच स्टेशनों की पहचान करने को कहा, जहां सबसे अधिक यात्रियों को आना-जाना रहता है। जिससे इस योजना पर सकारात्मक पहल शुरू हो सके। यूटीटीआईपीईसी ने द्वारका के दो क्षेत्र के लिए व्यापक मोबिलिटी योजना को मंजूरी देते हुए कहा कि इससे परिवहन व्यवस्था मजबूत होगी और द्वारका के आखिरी छोर को भी इसमें शामिल करने में मदद मिलेगी। इसके तहत सभी क्षेत्रों को चलने-फिरने योग्य बनाने, सार्वजनिक परिवहन पार्किंग व्यवस्था का भी मजबूत बनाना है।

उप-राज्यपाल ने छतरपुर से मैदानगढ़ी स्थित औद्योगिक क्षेत्र, सरयूपुर और सतबारी जाने वाली सड़क से जुड़ी परियोजना को लेकर उठाए गये कदमों से संबंधित तैयार रिपोर्ट पर चर्चा की। उन्होंने अवगत कराया कि मौजूदा सात मीटर चौड़ी सड़क को 30 मीटर चौड़ा करने के लिए निजी भूमि अधिग्रहण की जरूरत होगी। इससे भी अधिक जरूरी है कि वन विभाग से मंजूरी हासिल करना। इसमें अधिक दिक्कत आने की आशंका है। उनका कहना था कि इस पूरे रिज क्षेत्र को मार्फोलॉजिकल रिज घोषित किया गया है।